

तमन्चा व कारतूस के साथ एक जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.04.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दुर्गा मंदिर बहदग्राम तिथऊ इन्दारा के पास से एक जिलाबदर अभियुक्त धर्मेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 रामबचन निवासी मुहम्मदपुर बनसति इन्दारा थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस (8 एमएमकेएफ) बरामद कर गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोपागंज पर मु0अ0सं0 90/25 धारा 4/10 गुण्डा अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धर्मेन्द्र राजभर पुत्र स्व0 रामबचन निवासी मुहम्मदपुर बनसति इन्दारा थाना कोपागंज जनपद मऊ

बरामदगी-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस (8 एमएमकेएफ) ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 402/2022 धारा 392,411 थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. मु0अ0सं0 04/2023 धारा 120बी, 147,148,149,302 थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. मु0अ0सं0 275/2022 धारा 147,323,504 भादवि थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
4. मु0अ0सं0 321/2019 धारा 323,504,506 थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
5. मु0अ0सं0 403/2021 धारा 323,341,504,506 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।
6. मु0अ0सं0 296/2023 धारा 120बी, 147,148,149,307,323,427,504,506 थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
7. मु0अ0सं0 493/2019 धारा 379,411,419,420,467,468 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।
8. मु0अ0सं0 418/2021 धारा 379,411 थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
9. मु0अ0सं0 50/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री विजय प्रकाश मौर्य थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
2. उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
3. हे0का0 रामलवट यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
4. का0 अरविन्द यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
5. का0 आशीष सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ ।
6. हे0का0 कृष्ण कुमार सिंह (चालक) थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 02.04.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्तगण अमरनाथ पुत्र झगरु निवासी भदसामानोपुर, जगराम गोंड पुत्र मेवा गोंड निवासी इटौरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।